राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.15(10)पंरावि/विधि/वि0ग्रा0सभा/24/ईफाईल 22379 जयपुर, दिनांकः—

1. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान) ।
2. विकास अधिकारी,
   पंचायत समिति, समस्त (राजस्थान) ।

विषयः—दिनांक 21 मार्च, 2025 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन बाबत।

संदर्भः—भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जयपुर शाखा से प्राप्त पत्र दिनांक 19.02.2025 एवं पत्र दिनांक 10.3.2025।

उपरोक्त विष्यान्तर्गत लेख है कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में BIS को वस्तुओं के मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के समन्वित विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अतः संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 21 मार्च, 2025 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए चर्चा किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार ।

(इन्द्रजीत सिंह)
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त।

Signature Not Verified

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.03.18 15:51:12 IST
Reason: Approved

4. निदेशक एवं प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जयपुर शाखा को उनके पत्र दिनांक 19.2.2025 एवं 10.3.2025 के क्रम में।
5. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.03.18 15:51:12 IST
Reason: Approved

भारतीय मानक ब्यूरो
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Ministry of Consumer Affairs Food & Public Distribution
जयपुर शाखा कार्यालय
Jaipur Branch Office

मानकः पथप्रदर्शकः

सत्यमेव जयते
Government of India

हमारा संदर्भ :–**JPBO/Panchayati Raj/2024-25/49** दिनांकः– 10 / 03 / 2025

डॉ. जोगाराम, (आई.ए.एस.)
सचिव एवं आयुक्त,
पंचायती राज विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषयः– विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित करवाने के संबंध में।

संदर्भ :–**JPBO/Panchayati Raj/2024-25/06,** दिनांकः– 19 / 02 / 2025

माननीय महोदय,

हमारे उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार हमने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 15 मार्च 2025 को सभी पंचायतो में एक ग्राम सभा आयोजित करवाके उसमे आम नागरिकों को भारतीय मानकों एवं गुणवत्ता तथा BIS Care App के बारे में जानकारी साझा करने के लिए एक आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया था परन्तु उपरोक्त दिनांक होली के तुरंत बाद होने के कारण हमारा मानना है कि त्यौहार के अगले ही कार्यदिवस पर ग्राम सभा का आयोजन करना तथा उसमे अधिकतम लोगों का शामिल होना आशंकापूर्ण है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त ग्राम सभा को 15 मार्च कि बजाय **21 मार्च 2025** को आयोजित करने के लिए आदेश पारित करवाने का श्रम करे।

सादर

(कनिका कालिया)
निदेशक एवं प्रमुख

भारतीय मानक ब्यूरो
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Ministry of Consumer Affairs Food & Public Distribution

मानकः पथप्रदर्शकः

सत्यमेव जयते
Government of India

जयपुर शाखा कार्यालय
Jaipur Branch Office

हमारा संदर्भ :–**JPBO/Panchayati Raj/2024-25/06** दिनांकः– 19 / 02 / 2025

डॉ. जोगाराम, (आई.ए.एस.)
सचिव एवं आयुक्त,
पंचायती राज विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषयः– विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित करवाने के संबंध में।

माननीय महोदय,

बीआईएस की ओर से शुभकामनाएँ!!!

जैसा कि आप जानते ही होंगे कि, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में, BIS को वस्तुओं के मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के समन्वित विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जैसा कि हम सभी समझते हैं, हमारे राष्ट्र की प्रगति और विकास काफी हद तक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास पर निर्भर करता है और ग्राम पंचायतें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के कार्यक्रम और योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी परिपेक्षय में आपके सहयोग से बीआईएस द्वारा राजस्थान के समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों के लिए भारतीय मानकों तथा मानकीकृत उत्पादों के संबंध में संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करवा चुका है, जिसमें पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण मानकों की उपयोगिता दर्शाते हुए एक पुस्तिका सभी पंचायतों मे भेजी थी उसकी एक प्रति आपको प्रेषित हैं। तत्पश्चात आपके विभाग के सहयोग से 2024 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बीआईएस की उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए जारी की गई गुणवत्ता शपथ दिलवाई गई जो अत्यधिक ही सफल रही थी।

आपके विभाग के सहयोग एवं हमारे संयुक्त प्रयास से इस गुणवत्ता मिशन को और आगे बढाने हेतु बीआईएस का मानना है कि **विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025** के उपलक्ष्य में दिनांक 15 मार्च 2025 को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित करवाई जाए जिनमें उपस्थित लोगों को उपरोक्त संवेदीकरण कार्यक्रम के दौरान सरपंच एवं सचिवों को दी गई जानकारी को गॉवों के आम नागरिकों की रोजमर्रा मे उपयोग होने वाले विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता उनसे संबंधित भारतीय मानकों, तथा बीआईएस के गुणवत्ता चिन्ह् की प्रामाणिकता की जॉच करने के लिए BIS Care App के उपयोग से संबंधित जानकारी देने का कार्यक्रम रखा जाये जिससे गॉवों–गॉवों तक आम उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के बारे मे समझ विकसित हो सके, इस हेतु बीआईएस की सामान्य जानकारी से संबंधित पुस्तिका की पीडीएफ कॉपी संलग्न हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित करवाए जाने हेतु एवं इस कार्यक्रम की कुछ **फोटो तथा वीडियो, प्रतिभागियों की संख्या सहित व्हाट्सएप के द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, मोबाइल नम्बर – 9636845891** को भेजने हेतु आदेश जारी करने का श्रम करें।

सादर

(कनिका कालिया)
निदेशक एवं प्रमुख

संलग्नः उपरोकतानुसार

भारतीय मानक ब्यूरो

जयपुर शाखा कार्यालय

महत्वपूर्ण दिवस

6 जनवरी
बीआईएस स्थापना दिवस

15 मार्च
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

14 अक्टूबर
विश्व मानक दिवस

24 दिसम्बर
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस

भारतीय मानक ब्यूरो -परिचय

सामान्य

हमारे देश की अर्थव्यवस्था में लघु क्षेत्र के उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। औद्योगिक उत्पादन का 40% उत्पादन, लघु क्षेत्र के उद्योगों द्वारा किया जाता है। कुछ लघु क्षेत्र के उद्योग बड़े औद्योगिक उपक्रमों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, जबकि कुछ इनके प्रतिस्पर्धी है। उदारीकरण और बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के साथ इन उद्योगों द्वारा निर्मित सामान की गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता है। मानकीकरण, गुणता उन्नयन को प्रापत करने और संगठन के भीतर दृढ़ गुणवत्ता संस्कृति के निर्माण के लिए अत्यधिाक महत्वपूर्ण उपायों में से एक उपाय मानकीकरण है।

भारतीय मानक ब्यूरो

1947 में भारतीय मानक संस्था के नाम से एक संगठन स्थापित किया गया, जिसे संवैधानिक निकाय बनाकर 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) नाम दिया गया। भा. मा. ब्यूरो की महत्वपूर्ण गतिविधियों में मानकों का निर्धारण, उत्पाद तथा तंत्र का प्रमाणन, परामर्श, प्रशिक्षण, सूचना सेवाएं इत्यादि शामिल है। भा. मा. ब्यूरो अधिनियम 2016 के माध्यम से संसद द्वारा इसके कार्यक्षेत्र व शक्तियों को पुनः संशोधित कर और सुदृढ़ बनाया गया।

राष्ट्रीय मानकीकरण

भा मा ब्यूरा राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है जो भारतीय मानकों के रूप में जाने जानते है। इन मानको में निर्माता, प्रौद्यागिकीविद्, उपयोगकर्ता इत्यादि के अनुभव और अद्यतन जानकारी प्रतिबिंबित होते हैं। चूँकि, लघु क्षेत्र के पास संसाधनों की कमी होती है, अतः समेमित विचारों, और समस्याओं को उनकी संस्था भा मा ब्यूरो को बता सकती है। वे, राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण के कार्य में समितियों के लिए विशेषज्ञ नामित करके अथवा भारतीय मानकों के प्रारंभिक मसौदे करके अथवा खरीद, गुणवत्ता, नियंत्रण में भारतीय मानकों को कार्यान्वित करके भाग ले सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

भारतीय मानक ब्यूरो भारत का मानक निकाय है और इंटरनेशनल स्टेंर्डडाईजेशन ऑर्गेनाइजेशप (ISO) तथा इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC) पैसिफिक एरिया स्टैंडर्ड कांग्रेस (PASC) साउथ एशियन रीजनल स्टेंडर्ड ऑर्गनाइजेशन (SARSO) का संस्थापक है। भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न देशों के साथ परस्पर मान्यता करार (MRA) और समझौता ज्ञापनों (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का WTO-TBT पूछताछ बिन्दु भी हैं।

प्रबंध पद्धति प्रमाण योजना

भारतीय मानक 1991 प्रबंध पद्धति प्रमाण योजना का संचालन कर रहा है। शुरूआत में भा.मा. ब्यूरो ने यह योजना गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाणन (आईएस/आईएसओ 9001) से आरम्भ की और कुछ वर्षों में धीरे-धीरे इसकी गतिविधियाँ विभिन्न प्रबंध पद्धतियों में विस्तारित कर दी गई है।

उत्पादन प्रमाणन

उत्पाद की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए उसका निरीक्षण करनके के बाद खरीदने से प्रमाणन मुहर योजनाएं अधिक लाभप्रद है। इन योजनाओं के माध्यम से कच्चे माल से लेकर फिनिश किए गए उत्पाद की स्थिति तक गुणवत्ता अन्तनिर्मित होती है। भा. मा. ब्यूरो द्वारा प्रचालित प्रमाणन योजना के अन्तर्गत निर्माताओं को मानक मुहर, ISI लगाने के लिए लाइसेंस, यह सुनिश्चित करनके के बाद प्रदान किया जात है कि वह उत्पाद सबद्ध भारतीय मानकों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है। प्रमाणन के लाभों को ध्यान में रखकर बड़े स्तर के खरीदारों जैसे डी जी एस एंड डी.पी एंड टी, रेलवे, डिफेन्स में, जहाँ सम्भव है, वहाँ केवल भा.मा. ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों को ही खरीदने की नीतिगत निर्णय लिया है। लघु क्षेत्र के लिए प्रमाणन योजना में शामिल होने के लिए वित्तीय संस्थाएं कई प्रकार के प्रोत्साहन देती है जैसे प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देना, ऋण पर ब्याज दर में छूट देना, प्रमाणन के लिए देय शुल्क में भा.मा. ब्यूरो भी लघु क्षेत्र को छूट देता है। भा.मा. ब्यूरो प्रमाणन योजना ने लघु क्षेत्र को गुणवत्ता उन्नयन तथा बड़े क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सहायता की है। और इससे यह गलत धारणा भी समाप्त करने में सहायता मिली है कि लघु क्षेत्र द्वारा गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। पीवीसी पाइप, डीजल इंजन, केबल तथा कंडक्टर, उत्पादों के कुछ ऐसे उदाहरण है जिनमें पहले बड़े क्षेत्र के उद्योगों में प्रमाणन मुहर को स्वेच्छा से अपनाया किंतु अत्यन्त थोड़े समय में ही लघु क्षेत्र के उद्योगों ने गुणवत्ता के वांछित स्तर को प्राप्त कर लिया। आज इन उत्पादों के लिए भा.मा. ब्यूरो लाइसेंस लेने वालों में प्रधानता लघु उद्योगों की है।

प्रयोगशाला

भारतीय मानक ब्यूरो की 8 प्रयोगशालाएँ बीआईएस प्रमाणन योजनाओं के प्रचलन में सहायता करती है। केन्द्रीय प्रयोगशाला साहिबाबाद में है, उत्तरी (मोहाली), दक्षिणी (चेन्नई), पश्चिमी (मुम्बई), पूर्वी (कोलकाता) क्षेत्रों में 4 और शाखा कार्यालयों (पटना) बैंगलुरू तथा गुवाहाटी) में 3 प्रयोगशालाएँ है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो में अब तक 274 बाहरी प्रयोगशालाओं को भी बीआईएस प्रयोगशाला मान्यता योजना के तहत मान्यता दी है। साथ ही, भारतीय मानक ब्यूरो 259 अन्य विशेष प्रयोगशालाओं की सुविधाओं का भी उपयोग करता है।

हॉलमार्किंग

भा. मा. ब्यूरो द्वारा सन् 2000 से सोने व सन् 2005 से चाँदी पर हॉलमार्किंग स्कीम चलाई जा रही है। भा.मा. ब्यूरो न केवल इस हेतु आभूषण विक्रेता का रजिस्ट्रेशन करता है वरन असेयिंग व हॉलमार्किंग सेन्टर्स को सोने और चाँदी की टेस्टिंग हेतु सत्यापित (रिक्गनिशन) भी प्रदान करता है। जून 2021 से भारत सरकार के गुणवत्ता नियंत्रक आदेश के तहत आज के परिपेक्ष्य में 342 जिलों में सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है।

इलेक्ट्रोनिक उत्पादों हेतु रजिस्ट्रेशन स्कीम

भा. मा. ब्यूरो का अनिवार्य पंजीकरण योजना मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की सुरक्षा पहलू को प्रमाणित करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। अनिवार्य पंजीकरण योजना (सीआरएस) के तहत पहला लाइसेंस भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 12 जून 2013 को प्रदान किया गया था। वर्तमान में 22,500 से अधिक लाइसेंस ऑपरेशन में हैं, जिनमें 74 उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं। इस योजना के अधीन प्रमुख उत्पादों में मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्टवॉच, टेलीविजन, सेट-टॉप बॉक्स, प्रिंटर, एलईडी लाइट इत्यादि शामिल हैं।

प्रशिक्षण

भा. मा. ब्यूरो कई क्षेत्रों अर्थात् कंपनी मानकीकरण, सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला परीक्षण में तथा वांछित आवश्यकता के अनुसार कई अन्य क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण देता है। कम्पनी स्तर के मानकीकरण का लक्ष्य संसाधनों की उपयोगिता को अनुकूलतम स्तर पर लाना, उत्पादन दक्षता तथा गुणवत्ता को बढ़ाना तथा अपशिष्ट को कम करना है। नोएडा में स्थित राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से भा.मा. ब्यूरो द्वारा कई स्किल डवलप्मेंट कोर्स और तकनीकी कोर्स भी संचालित किये जा रहे हैं।

क्या आप जानते है ?

भारत सरकार द्वारा 644 से अधिक उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणीकरण अनिवार्य है। इन उत्पादों पर बिना आई.एस.आई. मार्क ( ) अथवा रजिस्ट्रेशन मार्क ( ) के उत्पाद बनाना व बेचना कानूनन अपराध है। भारत सरकार द्वारा भारतीय मानकों के अनुपालन को अनिवार्य करने के पीछे मुख्य कारण है व्यापक जनहित स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि । भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणीकरण के अन्तर्गत आने वाले व रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में लिये जाने वाले कुछ उत्पाद निम्न है :–

इलेक्ट्रीकल केबल

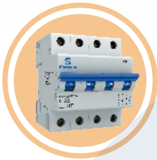

एम.सी.बी.

प्लग

बिजली के मीटर

प्रेस

गीजर

रूम हीटर

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

सिलेण्डर

रेगुलेटर और गैस नली

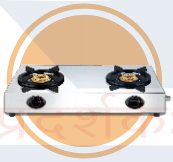

गैस चूल्हा

प्रेशर कूकर

सिमेन्ट

हेलमेट

पैकेजबन्द पीने का पानी

खिलौने

ग्राहकों से निवेदन है कि उपरोक्त उत्पादों को खरीदते समय आई.एस.आई. मार्क अथवा रजिस्ट्रेशन मार्क ( ) की बीआईए केयर ऐप के माध्यम से तुरन्त जाँच कर लें। अनिवार्य आई.एस.आई. मार्क ( ) और रजिस्ट्रेशन मार्क ( ) वाले उत्पादों की पूर्ण सूची के लिए बीआईएस केयर ऐप अथवा हमारी वेबसाईट https://www.bis.gov.in पर जायें।

बीआईएस केयर ऐप

उपभोक्ता सशक्तिकरण का साधन

इस ऐप की मुख्य विशेषताएं

- ''लाइसेंस के विवरण सत्यापित करें'' का उपयोग करके मुहर लगे उत्पाद की प्रामाणिकता की जाँच करें।
- '''HUID' संख्या का सत्यापन करें'' का उपयोग करके 'HUID' के हॉलमार्क वाली ज्वैलरी की प्रामाणिकता जांच करें।
- अनिवार्य प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत ''आर-नंबर सत्यापित करें'' का उपयोग करके आर नंबर वाले इलेक्ट्रोनिक उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच करें।
- किसी भी भारतीय मानक, इसके प्रति किसी लाइसेंस और इस उत्पाद के लिए प्रयोगशालाओं के बारें में जानकारी के लिए 'अपने मानक को जानें' व क्लिक करके भारतीय मानक संख्या (IS) संख्या या कीवर्ड दर्ज करके अपना मानक खोजें
- आप इस के माध्यम से बीआईएस के अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले उत्पादों और लाइसेंसों की सरलीकृत प्रक्रिया के तहत आने वाले उत्पादों तक भी पहुंच सकते हैं।
- 'उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत' अथवा मुहर के दुरूपयोग के संबंधी में शिकायत पंजीकृत करें।

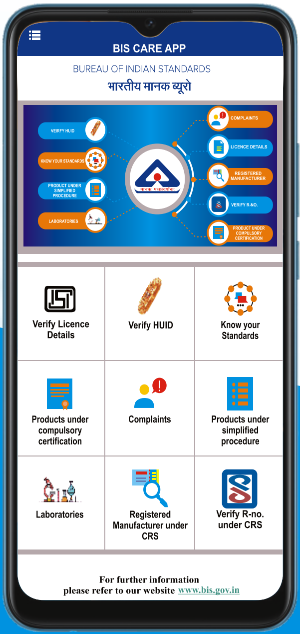

निम्न
क्यू आर कोड के माध्यम से
बीआईएस केयर ऐप
डाउनलोड करें।

सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए ISI मुहर लगी वस्तु ही खरीदिए।

वस्तुओं पर ISI मुहर लगी होने का मतलब है।

- सुरक्षा, विश्वसनीयता और मानक के प्रति अनुरुपता
- एक स्वतंत्र एजेन्सी, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इनका तीसरी पार्टी के रूप में प्रमाणन
- असली ISI मुहर की पहचान के लिए भारतीय मानक संख्या, दर्शाए गए सही आकार और CML नम्बर जरूर देखें और CML संख्या को BIS Care App से सत्यापित करें

IS : XXXX

CM/LXXXXXXX

सावधान

कुछ गैर-जिम्मेदार लोग आपको ISI मुहर से मिलती-जुलती निम्न प्रकार की नकलों से धोखा देते हैः-

CONFORMING TO

SPECIFICATION AS PER

SPECIFICATION WITH

MATTERSS

ELEMENT

ENGINE

SSI

ISI

APPROVED BY ISI

ये सभी चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं देते और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन करते है।

ISI मुहर लगी वस्तु के बारे में कोई शिकायत होने पर बीआईएस केयर ऐप पर शिकायत दर्ज करें।

भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ताओं के अधिकार

उपभोक्ता वर्ग देश का सबसे बड़ा असंगठित जन समूह है और भारत जैसे देश के लिए उनके हितों की सुरक्षा और अधिकार जन साधारण के सामान्य कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमें ऐसी सुसंगठित और स्वतंत्र क्रियाविधि तैयार करनी होगी जो उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाली वस्तुएँ, सेवाएं और उपयोगिता संतोषजनक रूप से उपलब्ध कर सकें।

आप उपभोक्ता के लिए सरकार की प्रतिज्ञा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 1986 अधिनियम में प्रतिबिम्बित होती है जो अत्यधिक कड़ा और व्यापक कानून था। उपभोक्ता आंदोलन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण दूसरा अधिनियम ''भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा. ब्यूरो) अधिनियम 1986'' था जो लगभग उसी समय संसद द्वारा पारित किया गया था। इन दोनों अधिनियमों को 2016 में संशोधित करके इनकी शक्तियों को और सुदृढ़ बनाया गया था। भा.मा. ब्यूरो अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य, भा.मा. ब्यूरो को राष्ट्र का ऐसा माध्यम बनाना था, जिसके द्वारा उपभोक्ता हितों को बढ़ावा और संरक्षण मिल सके।

भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता के अधिकार

भारतीय मानक ब्यूरो की दो प्रमुख गतिविधियों–मानकीकरण और प्रमाणन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2016 में दिए गए आम उपभोक्ता के 6 निम्नलिखित अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सभी तत्वों को शामिल करती हैं –

1. जीवन और जायदाद के लिए खतरे की वस्तुएं बाजार में बेचने के प्रति सुरक्षा का अधिकार – ऐसे उत्पाद जो उपभोक्ता के जीवन और जायदाद के लिए उपभोग के दौरान अथवा अन्यथा खतरा उत्पन्न करते है उनके मानकों में उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उत्पाद में अन्तरनिर्मित क्रियाविधियों बनाने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। इस सम्बन्ध में आम उदाहरण घरेलू बिजली के उपकरण गुणवत्ता नियंत्रण के आदेश जारी करके विशिष्टि घरेलू बिजली के उपकरणों के निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने उपकरण केवल भा.मा. ब्यूरो प्रमाणन के अन्तर्गत ही बाजार में बेंचे।

2. अनुचित व्यापार पद्धतियों के प्रति उपभोक्ता को सुरक्षा देने के लिए, वस्तुओं के मूल्य और स्तर, शुद्धता, शक्ति, मात्रा और गुणता के बारें में जानकारी देने का अधिकार– भा. मा. ब्यूरो द्वारा निर्धारित उत्पाद मानकों में हमेशा एक खंड होता है जो यह जानकारी देता है कि निर्माताओं को उनके उत्पाद–पैकिंग आधार पर कौन सी सूचना देना चाहिए। भा.मा. ब्यूरो के लाइसेंसधारियों के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार की सूचना उत्पाद–आधार पर लगाए गए लेबल अथवा पट्टी पर दें।

3. जहाँ तक संभव हो प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वस्तु की किस्म के अनुसार वस्तु प्राप्त करने का अधिकार – भा.मा. ब्यूरो की प्रमाणन योजना निर्माताओं को कुछ लाभ दिलाती है कि वे उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए तीसरी पार्टी का आश्वासन दे सकें। ब्यूरो लगातार प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक निर्माता उसकी प्रमाणन मुहर योजना में शामिल हो सकें। ब्यूरों का प्रयास उपभोक्ताओं को न केवल गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध कराना है, बल्कि अपनी प्रमाणन मुहर योजना के अन्तर्गत यथासम्भव अधिकाधिक निर्माताओं को शामिल करके गुणवत्ता वाली वस्तुओं के चुनाव में सहायता पहुंचाना भी है। अनिवार्य प्रमाणन के मामले में

सीमेंट, घरेलू बिजली के उपकरण व अन्य के लिए विभिन्न निर्माताओं के पास कोई विकल्प नहीं हैं, बजाए इसके कि वे योजना में शामिल हों और उपभोक्ताओं को एक समान गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध करना सुनिश्चित कर सकें।

4. शिकायतें सुनने का अधिकार और उपयुक्त मंचों पर आवश्यक सुनवाई के लिए उपभोक्ताओं के हितों को आश्वस्त करना – भा.मा. ब्यूरो की विभिन्न सलाहकार समितियों सहित कई तकनीकी समितियों में उपभोक्ता संगठनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है, ताकि उपभोक्ता हित के लिए वे सक्रिय रूप से आवाज उठा सकें। ये तीन स्पष्ट हित निर्माता, प्रौद्योगिकी विज्ञानी और उपभोक्ता में से उपभोक्ता हित का ही तकनीकी समितियों में प्रबल प्रतिनिधान होता है।

5. अनुचित व्यापार पद्धतियों और उपभोक्ता के अनैतिक शोषण के प्रति सुनवाई का अधिकार – उपभोक्ता की शिकायतों की तेजी से सुनवाई और उन पर शीघ्रता से ध्यान देने के लिए भा. मा. ब्यूरो ने अपने मुख्यालय में ही एक सम्पूर्ण सार्वजनिक परिवाद विभाग की स्थापना की है। इसके अलावा उसके सभी क्षेत्रीय शाखा कार्यालयों में भी सार्वजनिक परिवाद अधिकारी तैनात हैं। उपभोक्ता को भा.मा. ब्यूरो मानक मुहर लगी किसी भी वस्तु की गुणवत्ता के बारें में कोई भी शिकायत के लिए अपने निकट के भा.मा. ब्यूरो कार्यालय से सम्पर्क करना चाहिए। ब्यूरो इन शिकायतों की शीघ्रता से सुनवाई करता है, ताकि शिकायत करने वाले उपभोक्ता को संतोष हो सके। इन शिकायतों के माध्यम से उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचने वाली गुणवत्ता वाली वस्तुओं के लिए अनुवर्ती कार्यवाही संबंधी जानकारी भी प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप घटिया उत्पादन के स्त्रोतों और कारणों का पता लगाया जा सकता है और इससे उसके लिए सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।

6. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणन मुहर योजना के बारें में उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भिन्न–भिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

- जिला और राज्य स्तरीय अधिकारियों के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।
- ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।
- स्कूल और कॉलेजों के मानक क्लब स्थापना कर छात्रों को मानकों और मानकीकृत वस्तुओं की जानकारी भिन्न–भिन्न गतिविधियों के माध्यम से दी जा रही है।
- रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन में भी उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे है।
- क्वालिटी कनेक्ट कार्यक्रम के द्वारा घर–घर जाकर उपभोक्ता को भी मानकीकृत वस्तुओं की जानकारी दी जा रही है।
- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उपभोक्ता संगठन और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं।
- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अखबार, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया आदि में यथासंभव विज्ञापनों के माध्यमों से प्रचार का कार्य कर रहा है।

शुद्धता की पहचान, हॉलमार्क का निशान

हॉलमार्कड स्वर्ण आभूषण पर ये तीन चिन्ह अवश्य देखें।

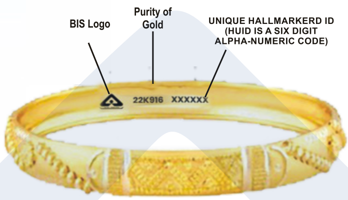

मानकः पथप्रदर्शकः

बी आई एस चिन्ह

22K916

कैरट में शुद्धता और परिशुद्धता

XXXXXX

6 अंकों की अक्षरांकीय संख्या
(HUID)

ध्यान रखें

ये तीन चिन्ह प्रत्येक स्वर्ण आभूषण और उसके अलग होने वाले सभी हिस्सों पर अनिवार्य है। केवल बी आई एस पंजीकृत ज्वैलर ही प्रमाणित बिक्री आउटलेट से हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषण बेच सकता है और आप उसका पंजीकरण चेक कर सकते हैं।

14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट के स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण शिल्पकृतियों पर ही हॉलमार्किंग करायी जा सकती हैं।

क्या खरीदें?

केवल हॉलमार्क चिन्हित आभूषण। इससे आभूषण पर अंकित शुद्धता का आश्वासन मिलता है।

क्या मांगे ?

पक्की रसीद, जो किसी भी प्रकार की शिकायत के निपटारे के लिए भी आवश्यक है।

सावधान रहें

कैरट मीटर इत्यादि उपकरण केवल आभूषण की बाहरी परत की शुद्धता दिखाते है इसलिए इनसे प्रभावित न हों सोने के जेवरातों पर हॉलमार्क चार्ज केवल 45 रूपये प्रति नग है और चांदी पर 35 रूपये प्रति नग है (टैक्स अतिरिक्त)

BIS केयर ऐप

BIS केयर ऐप से ''HUID संख्या का सत्यापन करें'' का उपयोग करके अपने हॉलमार्क वाले आभूषण की जाँच करें।

BIS celebrating 77th Year in Service of Nation

STANDARDS CLUB
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक क्लब

''मानकों और गुणवत्ता के राजदूतों का सारथी''

- छात्रों के बीच गुणवत्ता और मानकों के बारें में जागरूकता पैदा करना
- पाठ्यक्रम के साथ गुणवत्ता की अवधारणा को जोड़ना
- मेंटर शिक्षकों को प्रेरित कर छात्रों के मार्गदर्शक के रूप में तैयार करना

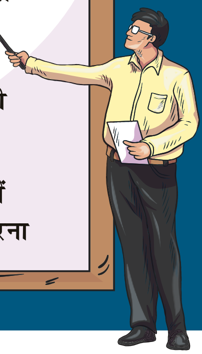

मानकः पथप्रदर्शकः

भारतीय मानक ब्यूरो

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार

जयपुर शाखा कार्यालय

''मानक भवन'', पृथ्वीराज रोड़, सी-स्कीम, जयपुर 302005 दूरभाष : 0141-2223282, 2223283

Email: jpbo@bis.gov.in | Web: www.bis.gov.in

IndianStandards IndianStandards

@IndianStandards BureauofIndianStandards